



पत्र संख्या- 254/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 02.07.2026

जनपद : आजमगढ़

☐ परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की काउंसलिंग से एक बिखरा परिवार पुनः हुआ एकजुट

☐ पारिवारिक विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु नई किरण प्रोजेक्ट की प्रभावी पहल, न्यायालयों पर कार्यभार कम करने की दिशा में सार्थक प्रयास

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद आजमगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात)/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 02.07.2026 को थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कुल 09 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को नोटिस एवं दूरभाष के माध्यम से सूचित कर मीडिएशन हेतु बुलाया गया। इनमें से 06 पत्रावलियों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए। अथक प्रयास एवं काउंसलिंग के उपरांत 01 प्रकरण में पति-पत्नी के मध्य आपसी समझौता कराया गया, जिससे एक बिखरा परिवार पुनः एक सूत्र में बंध सका।

समझौता हुए प्रकरण में आवेदक की पत्नी द्वारा बिना बताए बार-बार मायके चले जाना एवं मायके पक्ष के प्रभाव में आकर पारिवारिक विवाद उत्पन्न होने का उल्लेख था। प्रभावी काउंसलिंग के माध्यम से दोनों पक्षों को समझाकर सौहार्दपूर्ण समझौता कराया गया।

बैठक के दौरान 01 पत्रावली अन्य कारणों से बंद की गई, जबकि शेष प्रकरणों में अगली तिथि नियत कर नोटिस/दूरभाष के माध्यम से पक्षकारों को सूचित किया जाएगा।

नई किरण प्रोजेक्ट का उद्देश्य पारिवारिक विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान कर बिखरे परिवारों को पुनः जोड़ना, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना तथा पारिवारिक न्यायालयों पर बढ़ते कार्यभार को कम करना है।

आज का परिणाम :

- कुल पत्रावलियाँ : 09
- सुनवाई हेतु उपस्थित : 06
- समझौता संपन्न : 01
- अन्य कारण से निस्तारित : 01

समझौता संपन्न प्रकरण :

- सहदेव निषाद पुत्र लालचन्द्र, निवासी पीठापुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

काउंसलिंग टीम :

उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी, उ0नि0 सत्यनारायण यादव, आरक्षी जितेन्द्र कुमार शाह एवं आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता।